



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-11/2017-422 दिनांक : 28/3/18

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
राँची वन प्रमण्डल, राँची

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" (अन्य व्यय) के अंतर्गत 12 नई मोटरगाड़ी क्रय हेतु कुल **रु0 119.850 (एक करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-96/2015-52/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 27.03.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-96/2015-103/आ0 व0प0 दिनांक 27.03.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 47 वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि के अधीन कुल **रु0 119.850 (एक करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
नई मोटरगाड़ी का क्रय	19S240601101470440	119.850
कुल :-		119.850

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। प्रशासी पदवर्ग समिति की कार्यवाही **अनुलग्नक-2** तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101470440 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन किया जाएगा।
5. पूर्व के सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन, उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर ही सामग्रियों का क्रय विहित प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् किया जाएगा, जिसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं०-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
9. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जाएगी।
10. नई मोटरगाड़ी का क्रय GeM के दर पर सीधे कम्पनी से किया जायेगा, जिसका एक मुश्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-11 / 2017-

दिनांक-

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-11/2017-422

दिनांक- 28/3/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य विन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवार्यें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पदाधिकारियों के लिए 12 नई मोटरगाड़ी क्रय किये जाने संबंधी उप आवंटन

निकासी एवं व्यय पदाधिकारी :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची

राशि लाख में

क्र० सं०	पदाधिकारी का पदनाम, जिनके द्वारा नई मोटरगाड़ी का उपयोग किया जायेगा	मोटरगाड़ी का प्रकार	दर	संख्या	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff), झारखण्ड	Maruti Ciaz	8.000	1	8.000
2	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग	Maruti Ciaz Delta (petrol)	7.290	1	7.290
3	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची	Maruti Swift D'Zire	7.000	1	7.000
4	1-वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची 2-वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची 3-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका 4-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज 5-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा 6-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग 7-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग 8-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची 9-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, राँची 10-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी योजना एवं अनुश्रवण प्रमण्डल, राँची 11-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	Scorpio	10.600	9	95.400
5	मोटरगाड़ी के लिए एसेसरिज	मोटरगाड़ी का निबंधन/एसेसरिज			2.160
<b>योग :-</b>				<b>12</b>	<b>119.850</b>

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश


### झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-11/2017/422

दिनांक - 28-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101470440 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकिकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 04 - मोटरगाड़ियों / ईंधन 40 - नई मोटरगाड़ी का क्रय State Scheme	111872	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	11,985,000.00 रुपये एक करोड उन्नीस लाख पिचयासी हजार
State Scheme :		MODERNIZATION & IT ENABLED SERVICES FOR FOREST OFFICES(0980)		
Central Scheme :		NA		



योग: 11,985,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड उन्नीस लाख पिचयासी हजार

*Satnam Singh*  
(SHRI SATNAM SINGH)

ADD. P.O. DIVISION RA